



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241172
CG-DL-E-17122022-241172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944

No. 670]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/91/14/डीडी/118/14/डीसी/469/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुब्रता डे (सदस्यता संख्या 054962), 8/2, किरण शंकर रॉय रोड, दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 1 और 1 बी, कोलकाता (पश्चिमी बंगाल) 700001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप सीए. सुब्रता डे (सदस्यता संख्या 054962) के नाम को 24 (चौबीस) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और इस आदेश की अभिपुष्टि अपीलीय प्राधिकरण ने भी तारीख 25 अक्तूबर, 2022 को पारित अपने आदेश द्वारा कर दी थी। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सुब्रता डे (सदस्यता संख्या 054962) का नाम 16 दिसंबर, 2022 से 24 (चौबीस) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./487/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/91/14/DD/118/14/DC/469/2016.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Subrata De (Membership No. 054962), 8/2, Kiran Shankar Roy Road, Second Floor, Room No. 1 & 1 B, KOLKATA(West Bengal) 700001** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Subrata De (Membership No. 054962)** from the Register of Members for a period of 24(Twenty Four) months which has also been upheld by the Appellate Authority vide its order pronounced on 25th October, 2022. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Subrata De (Membership No. 054962), shall stand removed from the Register of Members for a period of 24(Twenty Four) months with effect from 16th December, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./487/2022-23]